

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2018—श्रावण 12, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2018

अधि. क्र. 25-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 71 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जारी अधिसूचना क्रमांक 04 एफ-1-13-2016-अठारह-3, दिनांक 30 जनवरी 2018 से नगरपालिक निगम, इंदौर में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को पार्षद के रूप में मनोनीत किये गये थे, उक्त जारी अधिसूचना के कॉलम 6 के क्रमांक 5 में त्रुटिपूर्ण नाम अंकित हो गया है, के स्थान पर क्रमांक 5 में निम्नानुसार अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

क्र.	नगरपालिक निगम का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	संशोधित नाम एवं पता
(1)	(3)	(3)	(4)
1	नगरपालिक निगम, इंदौर	श्री गब्बर उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह रघुवंशी, 15/5 स्नेहलतागंज, इंदौर.	श्री वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह रघुवंशी, 15/3 स्नेहलतागंज, इंदौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उफसचिव.